



154/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....बालाड़ा.....दिनांक :- 27/09/25

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बालाड़ा व भू-अभिलेख निरीक्षक जिम्माहेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासनकी अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अरतीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़की जमावन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमावन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 64 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>अरतीया</u>	<u>64</u>	<u>डिशनलाल पुत्र शंकर चमार शीष. जमा. बडसूर</u>	<u>डिशनलाल पुत्र शंकर जटिया शीष जमा. बडसूर</u>

(डिशनलाल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :- 27/09/25

क्रमांक / राजस्व/2025/154

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, डिशनलाल को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री डिशनलाल पुत्र शंकर जटिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(डिशनलाल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़